न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 11/2018 आर्म्स अपील (GCMS/2018/00169)
पंजीयन दिनांक - 05.12.2018
निर्णय दिनांक - 16.03.2021

1. श्री भगवतसिंह चौहान पिता श्री औंकार सिंह चौहान, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत - अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 29.12.2017, क्रमांक एफ.21/11(08)श.ला. /न्याय/2014/10410

निर्णय

दिनांक 16.03.2021

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 29.12.2017, क्रमांक एफ.21/11(08)श.ला. /न्याय/2014/10410 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री भगवतसिंह चौहान पिता श्री औंकारसिंह, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष स्वंय सुरक्षा हेतु 12 बोर गन के शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन पर

जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई।एवं जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा आवेदक को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंषा की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश क्रमांक एफ.21/11(08)श.ला./न्याय/2014/10410 दिनांक 29.12.2017 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया।

- उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री भगवतसिंह चौहान द्वारा दिनांक 05.12.2018 को इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के प्रस्तुत की।

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया। उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता दिनांक 02.03.2021 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द के पत्र दिनांक 23.11.2017 अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पूर्ववत जांच के ठीक पाया गया अपीलार्थी हिस्ट्रीशीटर नहीं है, न ही पूर्व में रहा। अपीलान्ट के विरूद्ध वर्तमान में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है, न ही अपीलार्थी को किसी आपराधिक मामलें में दोषसिद्धि ही हुई है यहां तक कि अपीलार्थी के विरूद्ध कभी शांतिभंग करने की कार्यवाही तक नहीं हुई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख जांच में सही पाये गये है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31.03.010 के कॉलम II-ब सबकॉलम I, II एसेसमेंट ऑफ द थ्रेट, III, IIII पर दिया जाना उचित है। आवेदन जांच से ठेकेदार हो अधिक मात्रा में केश रखने से बदमाशों द्वारा लूटपाट करने का खतरा होने से वृत्ताधिकारी वृत्त नाथद्वारा की जांच रिपार्ट एवं उक्त पत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार आवेदक को शस्त्र लाईसेंस जार किया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 21.03.2016

को पुनः रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक से चाही गयी जिसके अनुसार अपीलान्ट ए-श्रेणी का ठेकेदार होकर उसके पास अधिक मात्रा में नगद राशि होकर नगद का लेनदेन रहता है जिससे बदमाशों से खतरे की आशंका रहती है जिससे शस्त्र लाईसेंस आवश्यक होकर अपनी अनापत्ति जाहिर की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) जोन उदयपुर द्वारा भी अपीलार्थी के पक्ष में अनापत्ति जाहिर की गई। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उपवन संरक्षक, तहसीलदार नाथद्वारा भी अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अनापत्ति दी परन्तु पुलिस अधीक्षक के द्वारा बिना किसी विशेष कारण से आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 12 के तहत शस्त्र लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा नहीं किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। तथ्यों की जांच नहीं की। आलौच्य आदेश की प्रति समय पर अपीलार्थी को नहीं मिलने से जानकारी होते ही अपील पेश की गई जिसके विलम्ब क्षम्य किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अंत में निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को आदेश निरस्त करा अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अपीलार्थी के पक्ष में उचित फैसला देकर अनुग्रहित करें। विकल्प में यह भी निवेदन किया कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश को अपास्त फरमाया जाकर इस आशय के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमायी जावे कि अपीलान्ट के पक्ष में प्रदत्त सभी अनापत्तियों के आलोक में नये सिरे से पुलिस अधीक्षक राजसमन्द से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 31.03.2010 के आधार पर गुणावगुण पर शस्त्र लाईसेंस देने स्वच्छ एवं विस्तृत आदेश पारित करें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-02/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2015 की प्रति प्रस्तुत की।

राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा आवेदक को नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नहीं

माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द अपने निर्णय में तथ्यों की सही विवेचन कर आदेश पारित किया। पारित आदेश पूर्णतया विधिक होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अपीलार्थी श्री भगवतसिंह चौहान पिता श्री औंकारसिंह, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष स्वंय सुरक्षा हेतु 12 बोर गन के शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत बाबत आवेदन दिनांक 21.07.2014 को पेश किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकनानुसार तहसीलदार, नाथद्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.08.2014 से, उप वन संरक्षक, राजसमन्द द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.08.2014 से एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.) जोन, उदयपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 से आवेदक अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने पर अपनी अनापत्ति प्रदान की। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा भी रिपोर्ट दिनांक 19.09.2014, 23.12.2016 एवं 13.02.2017 से आवेदक अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने पर अपनी अनापत्ति प्रदान की। परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.10.2017 में अंकन किया कि ''आवेदक को आर्म्स रूल्स् 2016 के रूल 12 के तहत शस्त्र लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा नहीं की जाती है'' उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया। रिपोर्ट दिनांक 31.10.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट में कोई ठोस आधार का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि पूर्व की रिपोर्ट में उनके कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की बार-बार अनुशंषा की गई हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को इस सम्बन्ध में स्पष्ट

कारण अंकित किये जाने चाहिए थे। आलौच्य आदेश पारित किये जाने पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा भी सिर्फ उक्त रिपोर्ट को आधार बनाया गया जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वार पूर्व तीन रिपोर्ट एवं अन्य सम्बन्धित उपरोक्त विभागों ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में अपनी अनापत्ति जाहिर की गई। प्रावधानोंनुसार जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपना मत जाहिर करने से पूर्व विस्तृत रूप से कारणों को विवेचित करते हुए अपना अभिमत अभिलिखित करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए परन्तु आलौच्य आदेश में इनका पूर्णता अभाव होने से हम यह प्रकरण पुनः जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 10.11.2015 के तथ्य हस्तगत प्रकरण से सुसंगत होने से चस्पा होता है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होने से उस पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है और अपील का अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 29.12.2017 अपास्त किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला पुलिस अधीक्षक से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च 2010 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाकर पुनः नये सिरे से स्वच्छ एवं विस्तृत आदेश पारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर